न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 117/2016 GCMS No 2016/00192
दायरा तिथि : 06.08.2021
फैसला तिथि : 28-9-2022

प्रार्थीगण::–

1. स्व. समाराम पुत्र पुनाजी जाति मेघवाल निवासी चामुण्डेरी राणावत के कामु. वारिशानः–
   1/1 अचलाराम पुत्र समारामजी
   1/2 राजू पुत्र समारामजी
   1/3 हिमताराम पुत्र समारामजी
2. स्व0 चेनाराम पुत्र पुनाजी जात मेघवाल निवासी चामुण्डेरी राणावतान के कामु.वारिशानः–
   2/1 प्रकाश पुत्र चेनारामजी
   2/2 गगनाराम पुत्र चेनारामजी
   2/3 सुश्री कीकी पुत्री चेनारामजी जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति बबी
   2/4 श्रीमति बबी पत्नि चेनारामजी बहैसियत खुद व बहैसिसतय कुदरती वलिया पुत्री कीकी
   तमाम जातिगण मेघवाल निवासीगण चिमनपुरा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. स्व0 इन्दाराम पुत्र लाखारामजी जाति गेणा के कायम मुकाम वारिसः–
   1/1 करमाराम पुत्र इन्दाजी
2. स्व0 रूपा पुत्र लाखराम जाति मेणा के कामु. वारिशानः–
   2/1 भावाराम पुत्र रूपाजी
   2/2 जोधाराम पुत्र रूपाजी
3. स्व0 पुना पुत्र लाखाजी के कायम मुकाम वारिसानः–
   3/1 चेलाराम पुत्र पुनाजी
   3/2 कसनाराम पुत्र पुनाजी
4. स्व0 केसाराम पुत्र लाखाजी मेणा के कामु.वारिसानः–
   4/1 सोनाराम पुत्र केसाजी जाति मेणा निवासी चिमनपुरा तहसील बाली
5. स्व0 हमीयाराम पुत्र छोगाराम कौम भील निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली के कामुः–
   5/1 फुलाराम पुत्र हमीयारामजी
   5/2 हकमाराम पुत्र हमीयारामजी
   5/3 विक्रमकुमार पुत्र हमीयारामजी
   5/4 गुलाबी पुत्री हमीयारामजी
   5/5 फेन्सी पुत्री हमीयारामजी
   5/6 हीना पुत्री हमीयारामजी
   5/7 शारदाबेन पत्नि हमीयारामजी जातिगण भील निवासीगण चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री गणपतलाल चौधरी.......................... अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार

–:: आदेश ::– दिनांक 28-9-2022

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण पेश कर ग्राम चामुण्डेरी में स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 211 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा से हाल सैटलमेन्ट संवत् 2037 के बाद बने नये खसरा नंबर 363 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 364 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नंबर 365 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नंबर 366 रकबा 0.17 हैक्टर कुल रकबा 0.69 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय की खातेदारी दुरस्ती के माध्यम से प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि ग्राम चामुण्डेरी राणावतान के गत् खसरा नंबर 211 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय की भूमि संवत् 2009 से 2028 की खतौनी बंदोवस्त में प्रार्थी के दादा पुनीया वल्द गलाजी कौम भाम्बी साकिन चिमनपुरा के खातेदारी में दर्ज थी।

पेज लगातार.................02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 117/2016 GCMS No 2016/00192

अनवान स्व0 समाराम के कामु. अचलाराम वगैरा बनाम स्व. इन्दाराम के कामु. करमाराम वगैरा

<u>अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956</u>

उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 01 व 02 समीया व स्व0 चेना के खातेदारी में दर्ज हुई। संवत् 2022 से 2025 की जमाबंदी में उक्त भूमि समीया व चेना के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। समाराम की मृत्यु दिनांक 20.08.2015 को हुई है। पुराने खसरा नंबर 211 से बने हाल खसरा नंबर 363, 364, 365, 366 कुल रकबा 0.69 हैक्टर को बिना किसी आधार अधिकार के भू0प्रबन्ध विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के नाम दर्ज कर दिया। तथा कालान्तर में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के द्वारा भूमि का बेचान मूलाराम पुत्र भूराराम को कर दिया गया। तथा मूलाराम पुत्र भूराराम ने पुनः हमीयाराम पुत्र छोगाराम भील को बेचान कर दिया। उक्त तमाम इन्द्राज न केवल गैर कानूनी है बल्कि प्रारम्भ से ही शून्य हैं यानि (void- Ab- insitio- void) है। क्योंकि प्रार्थीगण तमाम जाति से मेघवाल है, जो अनुसूचित जाति से हैं तथा अप्रार्थीगण जो तमाम अनुसूचत जन जाति से हैं तथा ऐसे ट्रांसफर को कानून भी मान्यता नहीं देता है। इस प्रकार सैटलमेन्ट के दौरान् की गई त्रुटि को सुधार कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करते हुये वादग्रस्त भूमि चामुण्डेरी के हाल खसरा नंबर 363, 364, 365, 366 रकबा क्रमशः 0.18 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.17 हैक्टर कुल रकबा 0.69 हैक्टर का प्रार्थीगण को इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी खतौनी बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028, जमाबंदी प्रमाणित प्रतिलिपी संवत् 2022 से 2025, मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रमाणित प्रतिलिपी खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2037 से 2056, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2052 से 2055, चालू जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की प्रमाणित प्रतिलिपि, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र समाराम पेश किये गये। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी 01 व 05 बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 के अधिवक्ता श्री ओमदवे को जवाब प्रस्तुती के लिये कई समय/ अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब पेश नहीं किया गया एवं दिनांक 14.12.2021 को अधिवक्ता श्री ओम दवे द्वारा No Instruction Plead कर दिया। प्रकरण में बहस के पश्चात् न्यायालय आदेश दिनांक 30.03.2022 से अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 के कायम मुकाम को पुनः तलबी के आदेश दिये गये। तलबी जारी होने पर अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 के कायम मुकाम की ओर से नये अधिवक्ता श्री नरपतसिंह दूदनी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। जिन्हे जवाब के लिये न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय/अवसर दिये जाने के बावजुद अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री नरपतसिंह दूदनी व श्री ललित चतूर्वेदी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 06.09.2022 से सी.पी.सी. के प्रोविजो अनुसार अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 के कायम मुकाम का जवाब अवसर बन्द करते हुये वकील प्रार्थी श्री गण्पतलाल चौधरी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि ग्राम चामुण्डेरी राणावत के गत् खसरा नंबर 211 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा प्रार्थीगण के दादा पुनीया वल्द गला भांवी के नाम जमाबंदी संवत् 2009 से 2028 में दर्ज थी। इसके पश्चात् जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार खसरा नंबर 211 समीया, चेना पि0 पुना कौम मेगवंशी के नाम दर्ज रहना भी प्रमाणित हैं। मिलान क्षैत्रफल में दर्ज इन्द्रा के अनुसार गत् खसरा नंबर 211 मी. रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 363, 364, 365, 366 रकबा क्रमशः 0.18 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.17 हैक्टर बनने की पुष्टि होती है। गिराल बंदोवस्त संवत् 2037 से 2056 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार हाल खसरा नंबर 363, 364, 365, 366 कुल रकबा 0.69 हैक्टरइन्दा रूपा पूना केसा पि. लाखा कौम मेणा के नाम दर्ज होने की पुष्टि होती है। सैटलमेंट पश्चात् की जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में भी इसी अनुसार इन्द्राज को दोहराया जाना प्रमाणित है। इसके पश्चात् की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में उक्त भूमि मूलाराम पुत्र भुराजी कौम मेणा सा. पिण्डवाडा के नाम नाम दर्ज होना भी प्रमाणित है। सवंत् 2072 से 2075 की जमाबंदी के अनुसार उक्त भूमि में वर्तमान में खातेदार हमीयाराम पुत्र छोगाराम कौम भील दर्ज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया भू0 प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि को अनुसूचित जन जाति के सदस्य के नाम दर्ज कर दिया गया। जिससे वकील प्रार्थीगण उक्त दलील स्वीकार योग्य हैं कि उक्त तमाम इन्द्राज न केवल गैर कानूनी है बल्कि प्रारम्भ से ही शून्य हैं यानि (void- Ab- insitio- void) है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा इसके खण्डन स्वरूप कोई जवाब अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जिससे भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

पेज लगातार.................03

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 117/2016 GCMS No 2016/00192

अनवान स्व0 समाराम के कामु. अचलाराम वगैरा बनाम स्व. इन्दाराम के कामु. करमाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम चामुण्डेरी राणावतान के गत् खसरा नंबर 211 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा के भू0 भाग से बने हाल खसरा नंबर 363, 364, 365, 366 रकबा क्रमशः 0.18 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.17 हैक्टर कुल खसरा–4 कुल रकबा 0.69 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के अधिकार अभिलेखों में दर्ज हमीयाराम पुत्र छोगाराम कौम भील को विलोपित करते हुये दुरस्ती के माध्यम से भू0प्रबन्ध के अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज के अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, चामुण्डेरी आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, चामुण्डेरी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 28-9-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner